

-2-

सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से नैश्चित किया जायेगा।

कृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान -22-लेखापरीक्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत 800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(X) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 899/XXVII(2)/2010 दि०: 25 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या:- 6836(1)/11(2)/10-03(मु०म०घो०)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, जनपद पौड़ी/नैनीताल/टिहरी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि. पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जनपद पौड़ी/नैनीताल/टिहरी।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय/अष्टम/12वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल/टिहरी/पौड़ी।
9. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड बुक।

प्रति धन्य *Attest*

सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
पौड़ी (मुख्यालय)
पौड़ी (मुख्यालय)

आज्ञा से
प्रति

(महिमा)
अनु सचिव

पुणे ज०:- 397/20 मा०।० (क) 110 दि० 28/3/2011

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न लिखित को पत्र में जिसे गैर निदेश के रूप में अधिशासी अधिकारी को भेजा जा रहा है।

01- मुख्य अभि० (ग०) (कुमा०) लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा
02- अधीक्षण अभि० टिहरी/अवधम/12वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, नैनीताल/टिहरी/पौड़ी।
03- सड़क/पुणे ज०, माजरा देहरादून, मुख्य अभि० स्व० 28/3

शासनादेश संख्या- 6836 / 11(2)/11-03(मोमोघो)/2011 दिनांक 25 मार्च, 2011 का संलग्नक

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० वित्त द्वारा अनुमोदित धनराशि (लाख ₹ में)	वित्तीय वर्ष 2010-11 में धन हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विकासखण्ड थलीसेरा के अन्तर्गत सेरामाण्डे सम्पर्क मार्ग पर लौह सेतु का निर्माण। घोषणा सं०:- 58/2011	20 मी०	3.24	0.10
2	मुख्यमंत्री जी घोषणा के अन्तर्गत मेखुली-देवराडी-कफलेख-कदूरखाल मो०मा० का विस्तार। घोषणा सं०:- 54/2011	10.00	126.00	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में परोगी-काण्डी मो०मा० का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य। घोषणा सं०:- 240/2010	10.00	3.10	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में विरोड से नायनाथ मो०मा० का नवनिर्माण। घोषणा सं०:- 239/2010	6.00	75.60	0.10
5	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के मालधनचौड में देवीपुरा से गांधीनगर तक सी०सी० मार्ग का निर्माण। घोषणा सं०:- 237/2010	2.00	0.62	0.10
6	माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के देवीपुरा से मालधनचौड नं० 2 तक सीमेन्ट कंक्रीट मार्ग का निर्माण। घोषणा सं०:- 238/2010	1.50	0.47	0.10
	योग:-		209.03	0.60

(₹ साठ हजार मात्र)

Photo copy attested

प्रतिभा

(महिमा)
अनु सचिव

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देवरा (गढ़वाल)

Prin
JE

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
देवरा (गढ़वाल)

अधिशक्ती अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
देवरा-गढ़वाल

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत

संख्या:- 6836 / 11(2) / 10-03(मु0म0घो0) / 2011

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 25 मार्च, 2011

विषय:-

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत विभिन्न 06 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्ष0/कु0क्ष0, लोक निर्माण विभाग पौड़ी/अल्मोड़ा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अनुक्रम में संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनी हेतु टी0ए0सी0 वित्त द्वारा अनुमोदित लागत ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ नौ लाख तीन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रति वर्ष ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 06 कार्य हेतु ₹ 0.60 लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में व्यय करने की महामहिन श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहाय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:- 1764 / 11(2) / 10-17(सामान्य) / 2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटण भाग के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों की जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायाजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। वास्तविक व्यय आधार पर यदि कोई धनराशि स्वीकृत लागू के सम्प्रेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दिया जायेगा।

(vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्वायरमेंट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समग्र-समग्र पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। बजट मैन्युअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

महिमा
Photo copy attested
सहायक अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग
देहरादून (गडवाल)
देहरादून (पेठावा)